न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–104/2011/भीलवाड़ा (2011/00017)

1. बाबूदीन पुत्र समसूदीन, जाति नीलगर, नि0 हमीरगढ़, तहसील व जिला भीलवाडा ।

अपीलांट

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र मोहन कुम्हार, नि0 हमीरगढ़ तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती नाथी पुत्री मोहन कुम्हार पत्नि फतेलाल, निवासी किले के पास, चित्तोड़गढ़ ।
3. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 9.5.2011 अंतर्गत अपील संख्या 5/2011.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता एवं श्री एम0एल0गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 अनुपस्थित ।
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हमीरगढ़ अवस्थित आराजी खसरा नंबर 3515 रकबा 2 बीघा भूमि का नामांतकरण संख्या 3803 दिनांक 28.12.2010 के द्धारा नायब तहसीलदार, हमीरगढ़ ने अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध

अपीलांट द्वारा प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 9.5.2011 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट को तत्समय के खातेदार चुनी बेवा मोहन कुम्हार के नाम दर्ज थी । चुनी बेवा मोहन ने विवादित आराजी 4500/–रू0 में दिनांक 23.4.1993 को अपीलांट को बेचान की तब से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी बाबत् सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद लंबित है इसके बावजूद तहसीलदार, हमीरगढ़ ने अप्रार्थीगण के नाम नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । तहसीलदार को वाद के विचाराधीन रहते नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि नामांतकरण विरासत से संबंधित था जिसके निर्णय का अधिकार ग्राम पंचायत को था इसके बावजूद तहसीलदार ने अप्रार्थीगण के पक्ष में नामांतकरण स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है । तहसीलदार ने नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादित भूमि के मौके एवं कब्जे की जांच किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.5.2011 एवं तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 नामांतकरण संख्या 3803 को अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपंजीकृत इकरानामे के आधार पर नामांतकरण संख्या 3803 दिनांक 28.12.2010 को चुनौती दी है । इस संबंध में नामांतकरण संख्या 3803 का अवलोकन किया गया । नामांतकरण संख्या 3803 खातेदार चुनी बेवा मोहन कुम्हार की मृत्यु उपरांत भगवानलाल पिता मोहन, नाथी पुत्री मोहन के नाम विरासत के आधार पर तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है । अपंजीकृत इकरारामे के संबंध में सुनवाई का क्षैत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है ना कि राजस्व न्यायालय को । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि तथाकथित

इकरारनामा नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से तथाकथित इकरारनामे को इकरारनामे का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता है । अपीलांट को अपंजीकृत इकरारनामे से क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपनी अपील के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

6- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 104/2011 (2011/00017) बउनवानी बाबूदीन बनाम भगवानलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 5/2011 बउनवान बाबूदीन बनाम भगवानलाल में पारित निर्णय दिनांक 9.5.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

7- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.01 10:26:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: